

आदेश

e-mail

श्री पंकज, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद, कैथल को नगर निगम, करनाल का अतिरिक्त चार्ज छः माह अथवा जब तक अन्य नियमित कनिष्ठ अभियन्ता के नगर निगम में स्थायी आदेश नहीं होते तब तक तुरन्त प्रभाव से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारी को दिये गये अतिरिक्त चार्ज के सम्बन्ध में किसी प्रकार का टी0ए0/डी0ए0 अथवा अन्य कोई भत्ता नहीं दिया जायेगा।

स्थान: पंचकुला
दिनांक: 08.03.2021

अशोक कुमार मीणा, आई.ए.एस.
निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा, पंचकुला।

पृ0 क्रमांक: डी.यू.एल.बी./स्था./2ई/2021/6141-42 दिनांक: 12/3/2021
उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1 जिला नगर आयुक्त, करनाल व कैथल।

अधीक्षक, (स्थापना)

कृते निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा, पंचकुला

पृ0 क्रमांक: डी.यू.एल.बी./स्था./2ई/2021/6143-45 दिनांक: 12/3/2021
उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1 आयुक्त, नगर निगम, करनाल।
- 2 कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, कैथल।
- 3 श्री पंकज कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद, कैथल।

अधीक्षक, (स्थापना)

कृते निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा, पंचकुला

आन्तरिक वितरण:-

1. पी0ए0/यू0एल0बी0एम।
2. पी0एस0/ए0सी0एस0यू0एल0बी0।
3. पी0ए0/डी0यू0एल0बी0।
4. पी0ए0/ए0डी0यू0एल0बी0।
5. नोडल आफिसर, बैव पोर्टल।